

ifros

**I e{k Hkjr dk mPpre U; k; ky;
fl foy (vi hyh;) vf/kdkfjrk
fl foy vihy I d; k 4453@2009**

कमल कुमार

.....अपीलार्थी (गण)

विरुद्ध

प्रेमलता जोशी व अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

fu.kz

U; k; efrz vHk; eukgj I is

1. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रथम अपील संख्या 808/2000 में दिनांक 08.01.2018 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज कर अपर जिला न्यायाधीश, हरदा द्वारा सिविल वाद संख्या 19-V/97 में दिनांक 31-08-2000 को पारित किए गए आदेश व आज्ञाप्ति की पुष्टि की गई है।

2. अपील निस्तारण हेतु अधोलिखित कुछ तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

3. सिविल वाद में, जिससे यह अपील उद्भूत हुई है, अपीलार्थी वादी है तथा प्रत्यर्थीगण प्रतिवादी गण हैं।

4. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगणों के विरुद्ध वाद – भूमि के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुपालन का दावा करते हुए सिविल वाद संस्थित किया। प्रत्यर्थीगणों द्वारा वाद का विरोध किया गया।

5. विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31-08-2000 के निर्णय के माध्यम से वाद खारिज किया गया। वादी व्यथित हुआ और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष प्रथम अपील संस्थित की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अपील निरस्त कर दी तथा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जिसने अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति से अपील प्रस्तुत करने का आधार प्रदान किया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन प्रकाश तथा प्रत्यर्थागणों के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित शर्मा को सुना।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा मामले के अभिलेख के परिशीलन पर हमने अपील में कोई गुणागुण नहीं पाया।

8. हमारी सुविचारित राय में, निचले दोनों न्यायालयों द्वारा सभी तात्विक विवादों पर अभिलिखित तथ्यों के समान निष्कर्ष इस न्यायालय पर बन्धनकारी हैं। यह तब और, जब हम निष्कर्षों में किसी भी प्रकार की अनुचितता या अवैधता पाने में असमर्थ हैं।

9. अन्य शब्दों में, निष्कर्ष समान होने के अलावा ऐसे हैं कि पक्षकारों द्वारा पेश साक्ष्य के मूल्यांकन पर अभिलिखित किए जाने योग्य हैं। ये निष्कर्ष न तो अभिवचनों के, न साक्ष्य के और न ही विधि के किसी सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। इन निष्कर्षों ने इस विस्तार तक की कोई ऐसी अनुचितता भी दर्शित नहीं की है कि कोई भी न्यायिक व्यक्ति कभी भी ऐसे निष्कर्षों को अभिलिखित कर सकता है।

10. यह विधि का स्थापित नियम है कि विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष दिया जाना एक वैवेकीय व साम्यिक अनुतोष है। विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष प्रदत्त किए जाने हेतु जो तात्विक प्रश्न विचारणीय हैं, वे हैं –

ifke – क्या पक्षकारों के मध्य वाद- सम्पत्ति के विक्रय/क्रय हेतु एक वैध और आत्यांतिक संविदा अस्तित्वान है ?

frh; – क्या वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद रहा है और क्या वह अभी भी संविदा में उल्लिखित अपने भाग के पालन हेतु तैयार और रजामंद है ?

r rh; – क्या वादी ने वस्तुतः संविदा के अपने भाग का पालन किया है और यदि हाँ, तो कैसे और किस विस्तार तक और किस रीति में पालन किया और क्या ऐसा अनुपालन संविदा की शर्तों के अनुशरण में था ?

prfk – क्या वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध वाद – सम्पत्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुतोष का उपचार प्रदान किया जाना साम्यिक होगा ? या यह प्रतिवादी को किसी प्रकार की कठिनाई कारित करेगा ? और यदि हाँ, तो

कैसे और किस रीति में तथा किस विस्तार तक, यदि ऐसा अनुतोष अंततः वादी को प्रदत्त किया जाता है।

vire – क्या वादी किसी अन्य वैकल्पिक अनुतोष यथा अग्रिम धनराशि की वापसी इत्यादि, पाने का हकदार है? यदि हां तो किन आधारों पर?

11. हमारी राय में उपरोक्त वर्णित प्रश्न सांविधिक अपेक्षाओं का भाग है (देखें – विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 16 (स), 20, 21, 22, 23 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के परिशिष्ट अ से स के प्रारूप 47/48)। इन अपेक्षाओं को पक्षकार द्वारा अपने अभिवचनों में उचित रूप से अभिवाचित और विधि के अनुरूप साक्ष्य की मदद से साबित किया जाना चाहिए। तब केवल न्यायालय ही विवेकाधिकार प्रयोग करने का हकदार है और तदनुसार तथ्यों पर पक्षकार द्वारा किए गए मामले के आधार पर विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष प्रदत्त या अस्वीकृत कर सकता है।

12. प्रस्तुत मामले में हम पाते हैं कि दोनों निचले न्यायालयों ने अभिवचनों व साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों पर विचार किया है तथा वादी के विरुद्ध यह धारित करते हुए स्पष्टतः निष्कर्षित किया है कि वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए न तो तैयार था और न ही रजामंद और इस प्रकार वह वाद-सम्पत्ति के संबंध में प्रतिवादी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं था। यह भी धारित किया गया कि वादी अग्रिम धनराशि की वापसी के किसी अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं था क्योंकि यह उनके मध्य सहमति के अनुरूप समायोजित किये जाने योग्य है।

13. दूसरे शब्दों में, दोनों निचले न्यायालयों ने धारित किया कि वादी संविदा के अपने भाग के पालन की तत्परता और रजामंदी साबित करने में असफल रहा है। हमारे विचार में तैयार रहने और रजामंद होने का विवाद्यक संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को प्रदत्त किए जाने के विचारण में सबसे महत्वपूर्ण विवाद्यक है और ऐसा ही दोनों निचले न्यायालयों द्वारा वादी के विरुद्ध साक्ष्य के मूल्यांकन पर धारित किये जाने के कारण यह, इस न्यायालय पर बंधनकारी है। यह आवश्यक रूप से तथ्य का प्रश्न होने के कारण, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील को सुनते हुए संपूर्ण साक्ष्य के फिर से मूल्यांकन का इच्छुक नहीं है। यह तब और, जबकि हम पाते हैं कि अपीलार्थी निष्कर्ष में भी कोई अनुचितता

या/और अवैधता दिखाने में सक्षम नहीं था जिससे निष्कर्ष में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप अपेक्षित हो।

14. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में, हम अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं। अतः अपील विफल होती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

न्यायमूर्ति इन्दू मलहोत्रा

नई दिल्ली

जनवरी 07, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।
